बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0 संख्या–भवन / 11 / निग0 (किशनगंज)–02 / 2012 ..... / पटना, दिनांक–

:: अधिसूचना ::

श्री वासुदेव प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ–सह–प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत को, घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये दो आरोपित कर्मियों श्री शत्रुधन प्रसाद सिंह, लिपिक–सह–टंकक, भवन प्रमण्डल, किशनगंज तथा श्री रंजीत सिंह, वरीय लेखा लिपिक–सह–रोकड़पाल, भवन प्रमण्डल, किशनगंज, जिन्हें विभागीय पत्रांक–3761 दिनांक–15.05.2012 द्वारा निलंबित कर विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निदेश दिया गया था। उनके द्वारा उक्त निदेश का उल्लंघन करते हुए उनमें से एक आरोपी श्री शत्रुधन प्रसाद सिंह को अपने स्तर से ही निलंबन मुक्त कर भवन कार्य प्रमण्डल, खगड़िया में पदस्थापित कर दिया गया और इस संबंध में विभाग को सूचना नहीं देकर अंधकार में रखा गया। एक अन्य कर्मी श्री रंजीत सिंह के विरूद्ध विभागीय निदेश की अवहेलना करते हुए उन्हें कारा से विमुक्त होकर आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–5908 दिनांक–05.06.2014 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी, जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. उक्त संकल्प के आलोक में विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–395 दिनांक–31.07.2015 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के रूप में अपर सदस्य राजस्व पर्षद–सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा अभिलेखित आदेश फलक में दिनांक–26.09.2014 को पारित आदेश की मूल प्रति सहित आदेश फलक फोल्डर तथा संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–62 / 14 का संचालन फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

3. आदेश फलक में श्री वासुदेव प्रसाद मंडल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित माना गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–12760 दिनांक–28.12.2015 द्वारा श्री वासुदेव प्रसाद मंडल से उनके विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी। एक वर्ष बाद श्री मंडल द्वारा उनके पत्रांक–1384 दिनांक–15.12.2016 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा का उत्तर विभाग में समर्पित किया गया।

4. श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–2608(भ) दिनांक–20.03.2018 द्वारा सहायक अभियंता के मूल वेतनमान पर अवनति का दण्ड अधिरोपित / संसूचित किया गया। दण्डादेश के सन्दर्भ में श्री मंडल द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अधिसूचना संख्या–9281 दिनांक–31.08.2018 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

5. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री मंडल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में C.W.J.C. No.6961/2018 वासुदेव प्रसाद मंडल बनाम बिहार राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायाल पटना द्वारा उक्त वाद में दिनांक–02.07.2024 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"After perusal of the enquiry report, it transpires to this Court that enquiry officer has not passed order in the light of the Rule 17(23) of the CCA Rules of 2005, which categorically states that after conclusion of

कृ0पृ0उ0.....

Ashish

the enquiry, enquiry officer shall indicate in the enquiry report about the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehavior, the defence of the Government Servant in respect of each article of charge, an assessment of the evidence in respect of each article of charge and the findings on each article of charge and the reasons thereof.

Upon bare reading of the enquiry report, it transpires to this Court that the point of defence mentioned by the Government Servant has not been considered in the enquiry report at all, and therefore, this Court is of the firm view that enquiry report is not sustainable, as the disciplinary authority at the time of passing the order has not applied his own mind and has not reached on his own findings. It is also made clear that when the enquiry report is defective then automatically, all the further steps of departmental proceedings shall also become defective. Keeping in view the aforesaid facts that neither the enquiry report nor the order passed by the disciplinary authority are sustainable in law, both orders i.e. letter No.2609(g) dated 20.03.2018 issued by the signature of Deputy Secretary, Building Construction Department, Patna and report dated 19.09.2014 by which the Presiding Officer on basis of the inquiry report has held the charges leveled against the petitioner to be true are hereby set aside. However the State would be at liberty to proceed further against the petitioner in accordance with law.

It is directed further that any decision which has to be taken shall be taken by State within 90 days and conclude it, if there shall be no action taken against him within the said period then the respondents shall pay all his benefits for which he is entitled."

6. श्री वासुदेव प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ–सह–प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ उक्त दण्ड के फलस्वरूप योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (निरूपण) का कार्यालय से दिनांक–28.02.2021 को वार्धक्य सेवानिवृत हो गये।

7. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–02.07.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री मंडल के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–5908 दिनांक–05.06.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः जाँच प्रतिवेदन देने हेतु उक्त विभागीय कार्यवाही को उनकी सेवानिवृति की तिथि तक संचालित मानते हुये उनके सेवानिवृत की तिथि दिनांक–28.02.2021 से बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(ख) में संकल्प संख्या–7815(भ) दिनांक–28.09.2024 द्वारा समपरिवर्तित किया गया। साथ ही उक्त संकल्प के द्वारा उक्त जारी विभागीय कार्यवाही के सन्दर्भ में तत्कालीन विभागीय जाँच आयुक्त सम्प्रति मुख्य जाँच आयुक्त को पूर्व की भाँति संचालन पदाधिकारी एवं तत्समय नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री राजेन्द्र प्रसाद, योजना अभियंता, मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय, के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री राजीव कुमार, अधीक्षण अभियंता, निरूपण अंचल संख्या–2–सह–निदेशक, गुणवत्ता अनुश्रवण (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

Ashish

8. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–96 दिनांक–30.07.2025 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री मंडल के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया। प्रामाणित आरोपों के सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक–7971 दिनांक–26.08.2025 द्वारा श्री मंडल को अपना द्वितीय बचाव अभिकथन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री मंडल के पत्रांक–शून्य दिनांक–07.09.2025 द्वारा प्राप्त द्वितीय बचाव अभिकथन की विभाग स्तर पर सम्यक समीक्षा की गयी।

9. प्रथम आरोप के सन्दर्भ में श्री मंडल के बचाव अभिकथन में अंकित किया गया कि उन्हें मामले के सन्दर्भ में विभागीय पत्रांक–704 दिनांक–21.01.2014 से सूचना प्राप्त होने पर पत्रांक–103 दिनांक–31.01.2014 द्वारा मामले से विभाग को अवगत कराया गया था। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि अधीक्षण अभियंता का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् उन्हें सर्वप्रथम विभागीय पत्रांक–13770 दिनांक–08.10.2013 द्वारा मामले से विभाग को अवगत कराने का निदेश दिया गया। पुनः विभागीय पत्रांक–704 दिनांक–21.01.2014 द्वारा स्मारित किया गया। अतः विभाग को सूचना देने में जान–बूझ कर किये गये विलंब का आरोप प्रमाणित होने के कारण उनका बचाव अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं है।

द्वितीय आरोप के सन्दर्भ में श्री मंडल द्वारा संचालन पदाधिकारी के रूप में समर्पित पत्रनुमा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित को दोष सिद्ध करते हुये बर्खास्त किये जाने एवं जाँच प्रतिवेदन किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किये जाने के आलोक में जाँच प्रतिवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(23) के प्रतिकूल न होने का उल्लेख किया गया है, जबकि इन्हीं के मामले में C.W.J.C. No.6961/2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन को उक्त नियम–17(23) के अनुरूप नहीं होने के कारण त्रुटिपूर्ण करार देते हुये आदेश पारित किया गया है। अतः श्री मंडल का पत्रनुमा जाँच प्रतिवेदन सी0सी0ए0 रूल–17(23) के प्रतिकूल न होने का अभिकथन किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है।

10. उपर्युक्त कंडिका–9 के विवेचन के आलोक में श्री वासुदेव प्रसाद मंडल के द्वितीय बचाव अभिकथन को अस्वीकृत करते हुये उनके पेंशन की राशि से चालीस प्रतिशत (40%) की कटौती का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। चूँकि श्री मंडल को पूर्व में अधिरोपित, सहायक अभियंता के मूल वेतनमान पर अवनति के दण्ड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2819 दिनांक–20.02.2018 द्वारा सहमति प्राप्त है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–9794 दिनांक–22.07.2019 के कंडिका–7 के आलोक में पुनः बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

11. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No.6961/2018 में पारित आदेश दिनांक–02.07.2024 के अनुपालन में श्री वासुदेव प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ–सह–प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत को पूर्व में संसूचित दण्डादेश अधिसूचना संख्या–2608 दिनांक–20.03.2018 को निरस्त करते हुये उपर्युक्त कंडिका–9 में वर्णित विवेचन के आलोक में उनके द्वितीय बचाव अभिकथन को अस्वीकृत कर बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43(बी) के अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन की राशि से चालीस प्रतिशत (40%) की कटौती।

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0.....

Ashish

ज्ञापांक– भवन/11/निग0 (किशनगंज)–02/2012...../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ई0–गजट कोषांग एवं वित्त (वै0दा0नि0को0), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/निग0 (किशनगंज)–02/2012 ...../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्री वासुदेव प्रसाद मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ–सह–प्रभारी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता–मकान संख्या–524, शितला स्थान रोड, तिलकामाझी, थाना–तिलकामांझी, जिला–भागलपुर (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/निग0 (किशनगंज)–02/2012 ...../ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह –विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/उप सचिव/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा–1 एवं 2, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– भवन/11/निग0 (किशनगंज)–02/2012 220 (31)/ पटना, दिनांक– 8/1/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/1/26
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
Ashish